उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN No. U32201UP 1999SGC024928

संख्या–670–कार्य/चौदह–पाकालि/2022–138–के/2011 **दिनांकः 16 अप्रैल, 2022**

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2022 को सम्पन्न हुई बैठक के संलग्न कार्यवृत्त के एजेंण्डा बिन्दु (2) आर0आर0टी0एस0 परियोजना के क्रमांक (7) में इलेक्ट्रिकल शिफ्टिंग कार्यों के लिए पर्यवेक्षण प्रभार के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय कि समान कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क के लिए एक समान नीति लागू होनी चाहिए और मेट्रो परियोजना की तर्ज पर आर0आर0टी0एस0 परियोजना के लिए भी एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा कार्य कराये जाने पर 05 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क लागू होगा, के क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वितरण निगमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन0सी0आर0टी0सी0) के अन्तर्गत प्रचलित रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आर0आर0टी0एस0) परियोजनाओं हेतु युटीलिटी शिफ्टिंग (33 के0वी0 तक की लाइनों एवं सम्बन्धित उपकरणों की शिफ्टिंग) के कार्यों हेतु निदेशक मण्डल उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में एतद्द्वारा निम्नवत् व्यवस्था लागू की जाती है :–

1. जो कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन0सी0आर0टी0सी0) द्वारा सम्पादित किये जायेंगे उसमें 05 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज उ0प्र0पा0का0लि0 को देय होगा।
2. प्रशनगत कार्यों को सम्बन्धित वितरण निगम के अनुमोदित वेण्डर्स एवं सप्लायर्स अथवा मानकों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन0सी0आर0टी0सी0) द्वारा प्रस्तावित वेण्डर्स एवं सप्लायर्स जिन्हें डिस्कॉम अनुमोदित करे, के माध्यम से कराया जा सकेगा।
3. उपरोक्त प्रस्ताव सशर्त होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एन0सी0आर0टी0सी0) अपने शिफ्टिंग सम्बन्धित कार्यों पर सुपरविजन चार्जेज अधिकतम 05 प्रतिशत तक उ0प्र0पा0का0लि0 से चार्ज करेगा।
4. उपरोक्त के सदंर्भ में एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा जी0एस0टी0 की देयता निम्नवत् होगी :–

(क). यदि सम्पत्ति का स्वामित्व उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों का रहता है तो पूर्ण प्रक्कलन धनराशि (05 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क {Supervision Charges} को जोड़ते हुये) पर जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (वर्तमान में लागू दर) की दर से देय होगा।

अथवा

(ख). यदि सम्पत्ति का स्वामित्व एन0सी0आर0टी0सी0 का होता है तो मात्र 05 प्रतिशत शुल्क (Supervision Charges) पर जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (वर्तमान में लागू दर) की दर से देय होगा।

संलग्नः यथोपरि।

अध्यक्ष

संख्या–670–(1)कार्य/चौदह–पाकालि/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

......क्रमशः 2

3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वित0/वाणि0/कार0प्ला0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/दक्षिणान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ/ केस्को–कानपुर।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
7. अपर सचिव–I,II,III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समसत मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्कॉम।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्कॉम एवं केस्को, कानपुर।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), समस्त डिस्कॉम।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–**www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल

आज्ञा से,

(विनय भूषण राय)
अपर सचिव (प्रथम)